न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 91/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 25.10.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. हरमेन्द्र सिंह आत्मज श्री ज्ञानसिंह जाति सिक्ख निवासी मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

...अपीलाट

बनाम

1. गुरूवचन सिंह आत्मज ज्ञान सिंह जाति सिक्ख निवासी मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रामप्रसाद नागर अभिभाषक रेस्पो0 कम-1

निर्णय

दिनांक 7.2.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या-49/2017 अन्तर्गत धारा 135 (2) एलआरएक्ट प्रार्थी गुरूबचनसिंह आ0 सरदार ज्ञानसिंह जाति सिक्ख नि0 मोडक स्टेशन हाल निवासी अमरपुरा तहसील श्यामगढ जिला मन्दसोर म0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय दिनांक 20.9.18 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि श्री गुरूबचनसिंह आत्मज सरदार ज्ञानसिंह जाति सिक्ख निवासी मोडक स्टेशन हाल निवासी अमरपुरा तहसील श्यामगढ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय का पेश किया कि उनके पिता सरदार ज्ञानसिंह आ0 सरदार करम सिंह के नाम पर ग्राम उदपुरा मे भूमि किता 8 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा स्थित है। पिता की मृत्यु दिनांक 29.10.16 हो चुकी है। उनके द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 26.9.05 के आधार पर भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी गुरूबचन सिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 20.09.18 से स्वीकार कर वसीयतकर्ता श्री ज्ञानसिंह आ0 सरदार करमसिंह के नाम ग्राम उदपुरा मे अंकित भूमि ख0 नं0 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 व 27 किता 8 रकबा 2.80 है0 को प्रार्थी गुरूबचनसिंह आ0 ज्ञानसिंह जाति सिक्ख निवासी मोडक स्टेशन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट हरमेन्द्रसिंह द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि खातेदार ज्ञानसिंह का दिनांक 29.10.16 को स्वर्गवास हो गया। ज्ञानसिंह जी के 4 पुत्र व 3 पुत्रियां है जो उनकी मृत्यु के बाद एक मात्र उत्तराधिकारी एंव वारिसान होने से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। ज्ञानसिंह जी द्वारा रेस्पो0 के पक्ष मे कोई वसीयत आदि आलेखित नही की गई किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 कम-1 के पक्ष मे वसीयत आलेखित होना मानकर वसीयत के आधार पर रेस्पो0 कम-1 के नाम नामा0 दर्ज करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त सूचना पर वसीयत की जानकारी होने पर वसीयत को अवैध घोषित करने हेतु घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायाधीश क.ख. रामगंजमण्डी मे

अति० सं० आयु०
कोटा

प्रस्तुत किया उक्त वाद की सूचना दिनांक 12.9.17 व दिनांक 13.8.18 को प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.9.17 की आर्डरशीट अनुसार सिविल न्यायालय मे प्रकरण जेरकार होने से इंतकाल तस्दीक करने की कार्यवाही को स्थगित कर दिया किन्तु उसके बाद अचानक बिना किसी जानकारी व सूचना के रेस्पो0 क्रम–1 के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को बिना सूचना व जानकारी के रेस्पो0 क्रम–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट व रेस्पो0 क्रम–1 ने व अन्य पुत्र व पुत्रियों ने अपने पिता के साथ काफी मेहनत कर मेहनत से प्राप्त आय से उक्त वर्णित आराजी प्राप्त की है। इसके संदर्भ मे अपीलांट के पिता को वसीयत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस बावत अपीलांट ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये किन्तु उनका गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत गवाहो से अपीलांट को जिरह आदि करने का कोई अवसर प्रदान नही किया इस प्रकार से विधि के प्रावधानो के विपरीत गवाहो के बयान को सही होना मान लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर मृतक ज्ञान सिंह के सभी वारिसान के नाम इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि ज्ञानसिंह का दिनांक 29.10.16 को स्वर्गवास हो चुका है। ज्ञानसिंह द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे वसीयत के आधार पर नामा0 तस्दीक करने का आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलांट एवं रेस्पो0 दोनो ने विरासत एवं वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय मे निवेदन किया था। अपीलांट द्वारा वसीयत को अवैध घोषित करने हेतु सिविल न्यायालय मे दावा किया गया। जिसके आधार पर पहले तो अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 कार्यवाही को पेन्डिग रखा किन्तु बाद मे वसीयत के आधार पर बिना अपीलांट को सुंनवाई का अवसर दिये रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे नामा0 दर्ज करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है। बहस मे आगे बताया कि वसीयत का उद्धेश्य म्यूटेशन कार्यवाही करना नही है। वसीयत विवादित है तथा अवैध घोषित कराने का वाद सिविल न्यायालय मे पेन्डिग है तो नामा0 कार्यवाही नही करना था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही कर आलौच्य आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 2004 पेज 101 आरआरडी 2010 पेज 614 आरबीजे 1999 पेज 127, आरबीजे 2006 पेज 366 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये म्यूटेशन को विवादित/यथास्थिति का आदेश पारित करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे निहित प्रावधान अनुसार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश/निर्णय की प्रथम अपील जिला कलक्टर को तथा द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रस्तुत अपील न्यायालय के श्रृवणाधिकार योग्य नही है अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2018(1) पेज 359 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। बहस मे यह भी बताया कि प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का यह कथन गलत है कि उसको सुनवाई का अवसर नही दिया क्योकि उसके द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब पेश किया है। सिविल कोर्ट का स्टे नही है। वसीयत रजिस्टर्ड है। विवादित भूमि स्वअर्जित है पैतृक नही है। अधीनस्थ न्यायालय रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर रेस्पो0 क्रम–1 के नाम विवादित आराजी का नामा0 तस्दीक करने का आलौच्य आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। नामान्तरकरण फिसक्ल प्रोसिडींग है जिसमे स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 2002 पेज 280 का न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन करते हुये प्रकरण मे उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो पर गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तथ्यो का सम्यक विवेचन कर गुरूबचन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वसीयतकर्ता श्री ज्ञानसिंह के नाम ग्राम उदपुरा मे अंकित भूमि ख0 नं0 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 व 27 किता 8 रकबा 2.80 है0 को प्रार्थी गुरूबचनसिंह

सहा० सं० लाद्
कोटा

आ0 ज्ञानसिंह जाति सिक्ख निवासी मोडक स्टेशन के नाम दर्ज करने का दिनांक 20.9.18 को निर्णय/आदेश पारित किया है। प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि वसीयत को प्रभावशून्य घोषित कराने का वाद सिविल न्यायालय मे जेरकार होने के आधार पर पहले नामा0 कार्यवाही पेन्डिग रखी गई किन्तु बाद मे बाद मे वसीयत के आधार पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये रेस्पो0 कम–1 के पक्ष मे नामा0 दर्ज करने का आलौच्य निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलांट के तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आलौच्य निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि वसीयत दिनांक 30.9.2005 को निरस्त करवाने के संबध मे दावा बावत घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) मे विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा बतौर अप्रार्थी सं0 2 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय मे स्पष्ट विवेचित किया किया है आपत्तिकार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रकरण मे वर्णित वसीयत नल एण्ड वोईड है या इसकी कियान्विति पर स्थगन है। वैसे भी नामान्तरकरण के जरिये भूमि पर स्वत्व प्रोदभूत नही होते यह ऐसे अधिकार नही है जिनमे किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हो, वैसे भी नामान्तरकरण मूल रूप से राजस्व रेकार्ड को आदिनांक बनाये रखने की सत्त प्रकिया है। वसीयतनामा पंजीकृत दस्तावेज होने तथा प्रश्नगत प्रकरण मे प्रस्तुत साक्ष्य, बयान आदि से प्रमाणित होने एवं उक्त पंजीकृत दस्तावेज किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रभावशून्य घोषित नही करने व दस्तावेज की कियान्विति पर स्थगन आदेश नही होना वर्णित करते हुये प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर सम्यक विवेचना कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2)एलआरएक्ट स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजी को गुरूबचनसिंह के नाम दर्ज करने का आलौच्य निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचित अभिमत प्रथम दृष्टया विधिसम्मत होना प्रकट होता है किन्तु प्रश्नगत प्रकरण मे पक्षकार के मध्य विवाद, विवादित आराजी की वसीयत को लेकर है जिसमे संबध मे पक्षकारान के मध्य वाद माननीय सिविल न्यायालय क0ख0 रामगंजमण्डी तथा दावा बावत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54, 188 आरटीए का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी मे जेरकार होने की पुष्टि होती है ऐसी स्थिति मे विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य ओर अधिक विवाद उत्पन्न नही हो के दृष्टिगत न्यायहित मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 20.9.2018 मे आंशिक संशोधन करते हुये निर्णय मे विवेचित विवादित आराजी की वसीयत को लेकर पक्षकारान के मध्य माननीय सिविल न्यायालय क0ख0 रामगंजमण्डी मे जेरकार वाद के निर्णय तक आलौच्य निर्णय मे वर्णित आराजी को विवादित करार दिया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा प्रकरण संख्या–49/2017 अन्तर्गत धारा 135 (2) एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 20.9.18 मे आंशिक संशोधन करते हुये विवादित आराजी की वसीयत को लेकर पक्षकारान मध्य माननीय सिविल न्यायालय क0ख0 रामगंजमण्डी मे जेरकार वाद के निर्णय तक विवादित करार दिया जाता है। तहसीलदार रामगंजमण्डी को आराजी विवादित होने का नोट नियमानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे लाल स्याही से दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 7.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा